



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44826 सन् 2025

मसूद अहमद उर्फ शब्बू

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	सुशील कुमार पांडेय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री सुशील कुमार पांडेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री आशीष मेहरोत्रा, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान संक्षिप्त धारक को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक मसूद अहमद उर्फ शब्बू की ओर से मामला अपराध संख्या 240 of 2025, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना खतौली, जिला मुजफ्फर नगर में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में छिपे हुए उद्देश्य के कारण झूठा फँसाया गया है। दो मामलों के आपराधिक इतिहास को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में सहायता या उत्प्रेरण नहीं किया है। उक्त मामले को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 19.6.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता को देखते हुए विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत विद्वान संक्षिप्त धारक ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रकट प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए उचित मामला लगता है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **मसूद अहमद उर्फ शब्बू** को उक्त मामला अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- II. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकी नहीं देगा।
- III. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले का उद्घाटन, (ii) आरोप गठन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- IV. आवेदक यह वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- V. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated Version, Not For Legal Use.